This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 13 जुलाई, 2015 / 22 आषाढ़, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th July, 2015

No. HHC/GAZ/14-53/74-VI.—In the interest of administration, following transfers and postings of the members of H. P. Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges are hereby ordered with immediate effect:—

1. The Services of Shri Sushil Kukreja, Registrar (Rules), High Court of Himachal Pradesh are placed at the disposal of the State Government for being posted as Presiding Officer, Labour Court/Industrial Tribunal, Shimla.

2. The Services of Shri Virender Sharma, District and Sessions Judge, earlier placed at the disposal of the State Government for being posted as Presiding Officer, Labour Court/Industrial Tribunal, Shimla are now placed at the disposal of the Hon'ble the Chief Justice for being posted as Registrar in the High Court of Himachal Pradesh, Shimla.

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH
COURT OF HIMACHAL PRADESH
Registrar General.

''सहज पंजीकरण – सहज संशोधन''

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
38–एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–171009

अधिसूचना

दिनांकः 8 जुलाई, 2015.

संख्या 3–3 / 2015–ई0एल0एन0–1394.––संख्या 3–3 / 2015–ई.एल.एन.– भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56 / 2015 / पी0पी0एस0–II, दिनांक 26 जून, 2015 तदानुसार 5 आषाढ़, 1937 (शक) जो कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 10ख के अनुसरण में, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त दलों और उन अमान्यताप्राप्त दलों जो 6 वर्ष से अधिक पहले मान्यता प्राप्त दल थे, के द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायत में संशोधन के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
नरेन्द्र चौहान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली– 110001.

दिनांकः 26 जून, 2015
5 आषाढ़, 1937 (शक)

अधिसूचना

सं0: 56 / 2015 / पी पी एस–II.––निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 5 तथा 10 के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग,

एतद्द्वारा, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.––(i) यह आदेश निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) (संशोधन) आदेश, 2015 कहा जाएगा।

(ii) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा।

2. पैरा 10 ख का प्रतिस्थापन.––निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 में विद्यमान पैरा 10ख के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

''10ख–रजिस्ट्रीकृत (अमान्यताप्राप्त) दलों और उन अमान्यताप्राप्त दलों जो 6 वर्ष से अधिक पहले मान्यता प्राप्त दल थे, के द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के लिए रियायत।

''पैरा 12 के उप–पैरा (3) के खंड (ख) के प्रावधानों की शर्त के अधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा किसी राज्य की विधान सभा या लोक सभा के साधारण निर्वाचन में खड़े किए गए अभ्यर्थियों को एक समान प्रतीक आबंटित किए जा सकते हैं बशर्ते निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हों :–

(क) विधान सभा के साधारण निर्वाचन में–

(i) राजनीतिक दल राज्य में विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के कम से कम 5: (पांच प्रतिशत) विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों पर और यदि राज्य विधान सभा में चालीस या इससे कम सीटें हों, तो कम से कम 3 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने अभ्यर्थी खड़ा करेगा;

(ii) विधान सभा की सामान्य कार्य–अवधि पूरी होने पर निर्वाचन होने के मामले में उस दल द्वारा निर्वाचन लड़ने के अपने आशय की सूचना, उप खण्ड (i) के अधीन विधानसभा की कार्य अवधि पूरी होने की तारीख से छह महीने पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान कभी भी और अधिकतम निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित तारीख से पांच पूर्ण दिवस पहले, आयोग को दे दी जाती है;

(iii) अपने सामान्य कार्यकाल से पहले विधानसभा के भंग होने की दशा में दल द्वारा उप खण्ड (i) के अधीन अपने आशय के संबंध में सूचना विधानसभा के भंग होने की तिथि से किसी भी समय और अधिकतम उस तारीख से जिस तारीख से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले आयोग को सूचना दे दी जाती है;

(iv) दल इस आदेश के पैरा 17 के अन्तर्गत आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से, वरीयता क्रम में, दस प्रतीकों के नाम देगाः

बशर्ते कि कोई दल, यदि ऐसी इच्छा व्यक्त करता है, अपने अभ्यर्थियों के आबंटन के लिए प्रतीक के नामों तथा सुस्पष्ट डिजाइन एवं आरेखों के साथ अपने पसंद के तीन नए प्रतीकों का भी, वरीयता क्रम में, प्रस्ताव करे जिस पर आयोग एक ही प्रतीक आबंटित करने पर विचार कर सकता है जब उसका यह अभिमत हो जाए कि ऐसे प्रतीक को आबंटित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है :

बशर्ते यह भी कि दलों द्वारा प्रस्तावित प्रतीकों का मौजूदा आरक्षित प्रतीकों या मुक्त प्रतीकों से न तो कोई सादृश्य हो और न ही कोई धार्मिक या सांप्रदायिक स्वगुणार्थ हो या किसी पक्षी या पशु का वर्णन करता हो;

बशर्ते यह भी कि नए प्रतीक के लिए किसी भी प्रस्ताव पर आयोग द्वारा तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसे संबंधित विधानसभा की कार्य अवधि समाप्त होने की तिथि से कम से कम तीन महीने पहले या विधानसभा के समय–पूर्व भंग किए जाने के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, न दिया गया हो;

(v) दल यह वचन–पत्र भी दे कि यदि दल ऊपर शर्त (i) में यथा–विहित निर्वाचन–क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थियों को खड़ा नहीं करता है तो उसके अभ्यर्थी प्रतीकों के आबंटन की तिथि के दिन उन्हें एक ही प्रतीक आबंटित किए जाने के हकदार नहीं होंगे; और, इसके अतिरिक्त दल आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली दण्डात्मक कार्रवाई का भागी भी बनेगा।

(vi) दल जिन निर्वाचन–क्षेत्रों में अभ्यर्थी खड़े कर रहा है उनकी क्रम संख्याओं और नामों वाली सूची आयोग को उस तिथि से जिस तिथि से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले प्रस्तुत की जाए।

(ख) लोक सभा के सामान्य निर्वाचन में–

(i) दल उस राज्य में कम से कम न्यूनतम दो संसदीय निर्वाचन–क्षेत्रों में अभ्यर्थी खड़े करे जिसमें वह अपने अभ्यर्थियों के लिए एकसमान प्रतीक का आबंटन चाहता है;

(ii) एकल संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र वाले राज्यों में कोई दल जो उपर्युक्त खंड (i) के अनुसार दूसरे राज्य में एक समान प्रतीक के लिए आवेदन करता है, एकल संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र वाले वैसे राज्यों में उसी प्रतीक के आबंटन के लिए भी आवेदन कर सकता है;

(iii) लोक सभा की सामान्य कार्य अवधि पूरी होने पर निर्वाचन होने के मामले में उस दल द्वारा निर्वाचन लड़ने के अपने आशय की सूचना, उप खण्ड (i) और (ii) के अधीन लोक सभा की कार्य अवधि पूरी होने की तारीख से छह महीने पहले शुरू होने वाली अवधि के दौरान कभी भी और अधिकतम उस तारीख से जिस तारीख से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले, आयोग को दे दी जाती है;

(iv) अपने सामान्य कार्यकाल से पहले लोक सभा के भंग होने की दशा में दल द्वारा उप खण्ड (i) और (ii) के अधीन अपने आशय के संबंध में सूचना लोक सभा के भंग होने की तिथि से किसी भी समय और अधिकतम उस तारीख से जिस तारीख से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले आयोग को सूचना दे दी जाती है;

(v) दल इस आदेश के पैरा 17 के अन्तर्गत आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त प्रतीकों की सूची में से, वरीयता क्रम में, दस प्रतीकों के नाम देगाः

बशर्ते कि कोई दल, यदि ऐसी इच्छा व्यक्त करता है, अपने अभ्यर्थियों के आबंटन के लिए प्रतीक के नामों तथा सुस्पष्ट डिजाइन एवं आरेखों के साथ अपने पसंद के तीन नए प्रतीकों का भी, वरीयता क्रम में, प्रस्ताव करे जिस पर आयोग एक ही प्रतीक आबंटित करने पर विचार कर सकता है जब उसका यह अभिमत हो जाए कि ऐसे प्रतीक को आबंटित करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है :

बशर्ते यह भी कि दलों द्वारा प्रस्तावित प्रतीकों का मौजूदा आरक्षित प्रतीकों या मुक्त प्रतीकों से न तो कोई सादृश्य हो और न ही कोई धार्मिक या सांप्रदायिक स्वगुणार्थ हो या किसी पक्षी या पशु का वर्णन करता हो;

बशर्ते यह भी कि नए प्रतीक के लिए किसी भी प्रस्ताव पर आयोग द्वारा तब तक कोई विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसे संबंधित लोक सभा की कार्य अवधि समाप्त होने की तिथि से कम से कम तीन महीने पहले या लोक सभा के समय–पूर्व भंग किए जाने के एक महीने के भीतर, जैसा भी मामला हो, न दिया गया हो;

(vi) दल यह वचन–पत्र भी दे कि यदि दल ऊपर शर्त (i) में यथा–विहित निर्वाचन–क्षेत्रों की न्यूनतम संख्या में अभ्यर्थियों को खड़ा नहीं करता है तो उसके अभ्यर्थी प्रतीकों के आबंटन की तिथि के दिन उन्हें एक ही प्रतीक आबंटित किए जाने के हकदार नहीं होंगे; और, इसके अतिरिक्त दल आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली दण्डात्मक कार्रवाई का भागी भी बनेगा।

(vii) दल जिन निर्वाचन–क्षेत्रों में अभ्यर्थी खड़े कर रहा है उनकी क्रम संख्याओं और नामों वाली सूची आयोग को उस तिथि से जिस तिथि से निर्वाचन की अधिसूचना (या चरणबद्ध निर्वाचनों के मामले में पहली अधिसूचना) जारी किए जाने के लिए निर्धारित हो, पांच पूर्ण दिवस पहले प्रस्तुत की जाए ।

स्पष्टीकरण :

संदेह के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि–

(i) इस पैरा के अंतर्गत किसी पंजीकृत अमान्यताप्राप्त दल के अभ्यर्थियों को एक समान प्रतीक के आबंटन की छूट लोक सभा के किन्हीं भी दो साधारण निर्वाचनों में, या किसी राज्य विधान सभा के किन्हीं दो साधारण निर्वाचनों में, या लोक सभा के एक साधारण निर्वाचन में और दूसरे एक राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन में, दल जो भी विकल्प चुने, उपलब्ध होगी।

(ii) कोई दल जिसने दो अवसरों पर इस छूट का लाभ उठा लिया है, किसी अनुवर्ती साधारण निर्वाचन में भी छूट के लिए इस षर्त के अधीन पात्र होगा कि पिछले अवसर पर जब दल ने इस सुविधा का लाभ उठाया था तो संबंधित राज्य में साधारण निर्वाचन में उस दल द्वारा खड़े किए गए निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को मिले मतों की संख्या उस राज्य में डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या के एक प्रतिशत से कम न हो।

(iii) इस पैरा के अधीन किसी दल के अभ्यर्थियों को एक ही प्रतीक के रूप में आबंटित मुक्त प्रतीक अन्य दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें उस दल ने अपने अभ्यर्थी खड़े नहीं किए हैं, के निर्दलीय उम्मीदवारों को आबंटन के लिए उपलब्ध रहेंगे;

(iv) इस पैरा के अधीन एक समान प्रतीक का आबंटन 'पहले आओ पहले पाओ' आधार पर किया जाएगाः

बशर्ते कि यदि आयोग में एक ही तारीख को एक ही प्रतीक को अधिमान देते हुए दो या अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसे दलों में से किसी एक को प्रतीक के आबंटन के प्रश्न का निर्णय आयोग के निदेशानुसार 'ड्रा' जैसी किसी विधि द्वारा किया जाएगा;

बशर्ते यह भी कि यदि एक ही प्रतीक जिसके लिए ऐसे दो या दो से अधिक दलों ने अधिमान दिया है और एक ही तिथि को उनके आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन दलों में से एक दल ऐसा है जिसे संबंधित राज्य में पिछले अवसर पर उक्त प्रतीक आबंटित किया गया था और दूसरा दल ऐसा है जिसे पिछले निर्वाचन में उक्त प्रतीक आबंटित नहीं किया गया था तो प्रतीक पूर्ववर्ती दल को आबंटित किया जाएगा;

बशर्ते कि, इसके अतिरिक्त यदि समान प्रतीक के लिए अधिमान देने वाले दो या अधिक ऐसे दलों के एक ही तारीख को आवेदन प्राप्त हुए हैं, तथा दोनों और सभी ऐसे दलों को वह चुनाव प्रतीक जो पूर्व में सम्बन्धित राज्य में आवंटित किया गया था और उनमें से एक दल ऐसा है जिसके द्वारा अधिमान दिए गए प्रतीक पर लोक सभा या संबंधित राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं, तो अन्य दलों को छोड कर उस दल को वह प्रतीक आबंटित कर दिया जाएगा;

(v) यदि आयोग के लिए किसी कारणवश दल के अभ्यर्थियों को उन प्रतीकों की सूचि में से एक ही प्रतीक प्रदान करना संभव न हो जिसके लिए उन्होंने इस पैरा के अंतर्गत अपनी प्राथमिकता दी है तो वह उस पार्टी के परामर्श से मुक्त प्रतीकों की सूची में से उस दल को कोई अन्य प्रतीक आबंटित कर सकता है।

(vi) पैरा 10क में निहित किसी बात के होते हुए भी, कोई राजनैतिक दल जो पहले मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल था तथा जिसने 6 से अधिक वर्ष पहले अपनी मान्यता गंवा दी थी इस पैरा के अधीन उस प्रतीक, जो दल के मान्यता गंवा देने के छह वर्ष पूरे होने के उपरान्त आयोजित लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन में उस दल के लिए आरक्षित था, के आबंटन की छूट का पात्र होगा बशर्ते कि खण्ड (क) और (ख) के अन्तर्गत निर्दिष्ट शर्तों में से प्रत्येक शर्त, जैसा भी मामला हो, खण्ड (क) के उप खण्ड (iv) और खण्ड (ख) के उप खण्ड (v) में दी गई शर्त के सिवाय, पूरी की गई हों''।

आदेश से,
वरिन्दर कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

———————

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi- 110001.

Dated: 26th June, 2015
5 Asadha, 1937 (Saka)

NOTIFICATION

No. 56/2015/PPS-II.—In exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution of India read with Rules 5 and 10 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the Election Commission of India hereby makes the following Order to further amend the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, namely:—

1. Short title and commencement.—(i) This Order shall be called the Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment) Order, 2015.

(ii) It shall come into force with immediate effect.

2. Substitution of paragraph 10B.—In the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, for the existing paragraph 10B, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"10B - Concession to candidates set up by registered (unrecognized) parties and to unrecognized parties which were earlier recognized parties more than 6 years back.

"Subject to the provisions of clause(b) of sub-paragraph (3) of paragraph 12, the candidates set up by a registered unrecognized political party at the general election to the Legislative Assembly of a State or to the House of the People, may be allotted a common symbol, subject to fulfilment of the following conditions :—

(A). At a general election to the Legislative Assembly—

(i) The party sets up candidates at least in 5% (five percent) of the assembly constituencies in the State, subject to a minimum of three constituencies in States having forty or less seats;

(ii) In the case of election on expiry of the normal term of the Legislative Assembly, the intimation with regard to its intention to contest election under sub-clause (i) is given by the party to the Commission at any time during the period commencing from the date six months prior to the date of expiry of the term of the Assembly and latest by five clear days before the date on which the notification (or the first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued;

(iii) In the case of dissolution of the Legislative Assembly before the expiration of its normal term, the intimation with regard to its intention under sub-clause (i) is given by the party to the Commission at any time from the date of dissolution of the Legislative Assembly and latest by five clear days before the date on which the notification (or the first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued;

(iv) The party shall give the names of ten symbols, in order of preference, from out of the list of free symbols notified by the Commission under paragraph 17 of this Order:

Provided that a party may, if it so desires, also propose three new symbols of their choice, with the names and clear design and drawings of symbol, in the order of preference, for allotment to its candidates, which the Commission may consider for allotment as its common symbol if there is, in its opinion, no objection in allotting such symbol:

Provided further that the symbols proposed by the parties shall have no resemblance to the existing reserved symbols or free symbols, nor shall have any religious or communal connotation or depict any bird or animal;

Provided also that no proposal for a new symbol shall be entertained by the Commission unless it is made at least three months before the date of expiry of term of the Assembly concerned, or within one month of the premature dissolution of the Assembly, as the case may be;

(v) The party also gives an undertaking that if the party does not set up candidates in the minimum number of the constituencies as prescribed in condition (i) above, its candidates shall not be entitled to allotment of a common symbol on the date of allotment of symbols to them; and, in addition, the party shall be liable for such punitive action as the Commission may consider appropriate;

(vi) The list containing the serial numbers and names of the constituencies where the party is setting up candidates is submitted to the Commission latest by 5 clear days before the date on which the notification (or first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued.

(B) At a general election to the House of the People—

(i) The party sets up candidates at least in a minimum of two parliamentary constituencies in the State, in which it seeks allotment of a common symbol to its candidates;

(ii) In the case of States with single parliamentary constituency, a party which applies for common symbol in terms of clause (i) above in another State, may also apply for allotment of the same symbol in such States with single parliamentary constituency;

(iii) In the case of election on expiry of the normal term of the House of the People, the intimation with regard to its intention to contest election under sub-clauses(i) and (ii) is given by the party to the Commission at any time during the period commencing from the date six months prior to the date of expiry of the term of the House of the People and latest by five clear days before the date on which the notification (or the first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued;

(iv) In the case of dissolution of the House of the People before the expiration of its normal term, the intimation with regard to its intention under sub-clauses (i) and (ii) is given by the party to the Commission at any time from the date of dissolution of the House of the People and latest by five clear days before the date on which the notification (or the first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued;

(v) The party shall give the names of ten symbols, in order of preference, from out of the list of free symbols notified by the Commission under paragraph 17 of this Order;

Provided that a party may, if it so desires, also propose three new symbols of their choice, with the names and clear design and drawings of symbol, in the order of preference, for allotment to its candidates, which the Commission may consider for allotment as its common symbol if there is, in its opinion, no objection in allotting such symbol;

Provided further that the symbols proposed by the parties shall have no resemblance to the existing reserved symbols or free symbols, nor shall have any religious or communal connotation or depict any bird or animal:

Provided also that no proposal for a new symbol shall be entertained by the Commission unless it is made at least three months before the date of expiry of term of the House of the People, or within one month of the premature dissolution of the House, as the case may be;

(vi) The party also gives an undertaking that if the party does not set up candidates in the minimum number of the constituencies as prescribed in condition (i) above, its candidates shall not be entitled to allotment of a common symbol on the date of allotment of symbols to them; and, in addition, the party shall be liable for such punitive action as the Commission may consider appropriate

(vii) The list containing the serial numbers and names of the constituencies where the party is setting up candidates is submitted to the Commission latest by 5 clear days before the date on which the notification (or first of the notifications in the case of a phased election) of the election is scheduled to be issued.

Explanation—

For the removal of doubt, it is hereby clarified that—

(i) The concession of allotment of common symbol to the candidates of a registered unrecognized party under this paragraph shall be available to a party at any two general elections to the House of the People, or any two general elections to a State Legislative Assembly or at one general election to the House of the People and the other at a general election to a State Legislative Assembly, as the party may choose.

(ii) A party that has availed of this concession on two occasions shall, however, be eligible for the concession in any subsequent general election subject to the condition that on the previous occasion when the party availed of the facility, the votes polled by all the contesting 5 candidates set up by the party at the general election in the State concerned was not less than one percent of the total valid votes polled in that State.

(iii) The free symbol allotted as a common symbol to the candidates of a party under this paragraph shall be available for allotment to candidates set up by the other parties or independent candidates in those other constituencies in which that party has not set up its candidates.

(iv) Allotment of common symbol under this paragraph shall be done on 'first-come-first-served' basis:

Provided that if applications of two or more parties giving preference for the same symbol are received in the Commission on the same date, then the question of allotment of the symbol to one of such parties shall be decided by draw of lots in such manner as may be directed by the Commission:

Provided further that if out of the two or more such parties giving preference for the same symbol whose applications are received on the same date, one party is such that it had been allotted the said symbol at the previous occasion in the State concerned and the other was not allotted that symbol in the previous election, then the symbol shall be allotted to the former:

Provided also that if out of the two or more such parties giving preference for the same symbol whose applications are received on the same date, both or all such parties had been allotted the said symbol on the previous occasion in the State concerned, and one among the parties is such that it has Member(s) elected to the House of the People or the Legislative Assembly of the State concerned on the symbol for which preference has been given by the party, then the symbol shall be allotted to that party to the exclusion of the other parties;

(v) If it is not possible for the Commission for any reason to allot a common symbol to the candidates of a party from out of the list of symbols for which it has given its preference under this paragraph, some other symbol from the list of free symbols may be allotted to that party in consultation with that party;

(vi) Notwithstanding anything contained in paragraph 10A, a political party which was earlier a recognized political party and which lost its recognition more than 6 years back will also be eligible under this paragraph to the concession of allotment of the symbol which was earlier reserved for the party, at a general election to the House of the People or to the Legislative Assembly of a State, held after expiry of six years since the party lost its recognition, subject to the fulfilment of each of the conditions specified under clause(A) or (B), as the case may be, except the condition in sub-clause (iv) of clause (A) and sub-clause (v) of clause (B)."

By order,
VARINDER KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

ब अदालत श्री ओम प्रकाश शर्मा सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

मुकदमा नं0 : 17 / 9 of 2009 तारीख दायरा : 6–3–2009 तारीख पेशी : 2–9–2015

रतन लाल पुत्र श्री जिमूणु, गांव सेऊ, प्र0 तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)
.. प्रार्थी।

बनाम

1. रणजीत सिंह पुत्र लेख राम, 2. अजय कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 3. कमल देव पुत्र प्रकाश चन्द, 4. सुनीता पुत्री प्रकाश चन्द, 5. शकुन्तला पत्नी स्व0 प्रकाश चन्द, 6. देश राज पुत्र बालक राम, 7. प्रेम कुमार पुत्र बालक राम, 8. सवित्री पत्नी स्व0 बालक राम, 9. रणजीत सिंह पुत्र प्रकाश, करतार सिंह मृतक बजरिया कायम मुकाम।

(i) अनिता (ii) अमिता (iii) अंजना (iv) रीना पुत्रीयां (v) राजकुमारी पत्नी एवं रणजीत सिंह (10) शक्ति सिंह पुत्र करतार सिंह, गांव नसवाल, प्र0 तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0
.. प्रतिप्राथीर्गिण।

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 123 H.P.L.R. Act वराये तकसीम अराजी

इश्तहार बनाम (i) अनिता (ii) अमिता (iii) अंजना (iv) रीना पुत्रीयां (v) राजकुमारी पत्नी एवं रणजीत सिंह व प्रार्थी नं0 10 शक्ति सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी मौजा नसवाल, प्र0 तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवानवाला में उपरोक्त प्रतिप्रार्थीगण को कई बार इस अदालत में हाजिर आने के लिए समन जारी हुए मगर समन बिना तामिल अदालत हजा में प्राप्त हो गये इससे अदालत को विश्वास हो गया है कि उपरोक्त प्रतिप्रार्थीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिप्रार्थीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 2–9–15 को सुबह 10 बजे अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। बसूरत गैरहाजरी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 2–7–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री जोगिन्द्र कुमार पुत्र रतन चन्द, वासी चंलाई, मौजा प्रगोड़

बनाम

आम जनता

विषय.–प्रार्थना पत्र सेहत नाम बारे।

श्री जोगिन्द्र कुमार पुत्र रतन चन्द, वासी चंलाई, मौजा प्रगोड़, उप तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान गुजारा है कि राजस्व रिकार्ड में पटवार वृत प्रगोड़ में मेरा नाम गलती से जोगिन्द्र दर्ज है जो कि सही न है। सही नाम मेरा जोगिन्द्र कुमार है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उजर व एतराज हो तो दिनांक 20–8–2015 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में दरुस्ती जोगिन्द्र सिंह के बजाए उर्फ जोगिन्द्र कुमार के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3–7–15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
हारचकियां।

————————

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 30–7–2015

श्री ओंकार सिंह पुत्र श्री साहिब सिंह, निवासी सुनपुर, डाकघर घरथोली, तहसील बैजनाथ
.. आवेदक।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र वराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में ओंकार चन्द के बजाए ओंकार सिंह दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री ओंकार सिंह पुत्र श्री साहिब सिंह, निवासी महाल सुनपुर, डाकघर घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि वह महाल सुनपुर में

भू0 स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम ओंकार चन्द दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने ओंकार सिंह दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30–7–2015 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3–7–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ।

———————

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 30–7–2015

श्री गोपाल दास पुत्र श्री हिन्दु राम, निवासी भट्टू वूहला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा
.. आवेदक।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र वराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में गोपालू राम के बजाए गोपाल दास दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री गोपाल दास पुत्र श्री हिन्दु राम, वासी महाल भट्टू वूहला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि वह महाल भट्टू वूहला में भू0 स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम गोपालू राम दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने गोपाल दास दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30–7–2015 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3–7–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ।

———————

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

विनोद कुमार पुत्र दुलो राम, निवासी चौवू, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

विनोद कुमार पुत्र दुलो राम, निवासी चौवू, डाकखाना नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसकी दादी फूलां देवी की मृत्यु दिनांक 21–1–1993 को महाल चौवू में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30–7–2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 3–7–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

————

ब अदालत श्री लेख राम धीमान कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

भिन्द्रो देवी पुत्री श्री परस राम, निवासी गांव व डा0 बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

भिन्द्रो देवी पुत्री श्री परस राम, निवासी गांव व डा0 बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री परस राम की मृत्यु दिनांक 20–8–2006 को महाल बैजनाथ में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30–7–2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 3–7–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

Sansar Chand s/o Shri Parmodh Singh r/o Bandian, Tehsil Baijnath, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sansar Chand s/o Shri Parmodh Singh r/o Bandian, डाकखाना BandianTehsil Baijnath, जिला Kangra, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्र / पुत्री Pankaj Katoch का जन्म दिनांक 30–12–1983 को महाल Bandian में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30–7–2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 3–7–2015 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

————

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

गौरी देवी पुत्री श्री दलीपा, निवासी चोवू, डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

गौरी देवी पुत्री श्री दलीपा, निवासी चोवू, डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री दलीपा की मृत्यु दिनांक 17–06–1958 को महाल चोवू में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30–7–2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 3–7–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।

ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 30–7–2015

श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण दास, निवासी हरड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा .. आवेदक।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र वराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में छोटू राम के बजाए श्रवण कुमार दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री लक्ष्मण दास, निवासी महाल हरड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि वह महाल हरड़ी में भू0 स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम छोटू राम दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने श्रवण कुमार दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 30–7–2015 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3–7–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ।

———

In the Court of Shri Rohit Rathour, HAS, Marriage Officer-*cum*-Sub Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Shri Prashant Dhar aged 32 years son of Shri Surender Dhar, resident of House No. 216, Ward No. 8, near Post Office Dhalpur, Tehsil & District Kullu, H.P.

2. Smt. Nivedita S. Khanolkar aged 26 years daughter of Shri Shashikant Khanolkar, resident of D-102, Sai Shilp Complex, Gavanpada, Near Fire Brigade, Mulund (East), Mumbai-400081 . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Prashant Dhar and Smt. Nivedita S. Khanolkar have filed an application on dated 30.6.2015 along with affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-4-2015 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under the Special marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 30-7-2015. The objection received after 30-7-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today 30-6-2015 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Kullu.

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 27—07—2015

श्री ललीत कुमार पुत्र श्री टेक सिंह, निवासी सोझा, डाकघर सोझा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री वंशिका कुमारी की जन्म तिथि 02—12—2009 को है, जो कि ग्राम पंचायत खाडागाड़ के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री वंशिका कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खाडागाड के अभीलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपती हो तो वह दिनांक 27—07—2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपती दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 02 / 07 / 15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 27—07—2015

श्री बेली राम पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी लारीपरी, डाकघर वाहू, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी दादी लीला देवी की मृत्यु तिथि 18–08–2012 को है, जो कि ग्राम पंचायत वाहू के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की दादी लीला देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत वाहू के अभीलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपती हो तो वह दिनांक 27–07–2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपती दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 02 / 07 / 2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

————————

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 27–07–2015

श्री चित्र सिंह पुत्र श्री शोभा राम, निवासी दनधार, डाकघर मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पत्नी रीता देवी की मृत्यु तिथि 13–09–2008 को है, जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी रीता देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभीलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपती हो तो वह दिनांक 27 / 07 / 2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपती दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 02 / 07 / 2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 27–07–2015

श्री कुर्म दत पुत्र श्री डोलू राम, निवासी शलेरा, डाकघर चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र महेन्दर सिंह की जन्म तिथि 14–04–2009 को है, जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र महेन्दर सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभीलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपती हो तो वह दिनांक 27–07–2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपती दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 02 / 07 / 2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

————————

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 27–07–2015

श्री मूरली चन्द पुत्र श्री ईशर सिह, निवासी गहीधार, डाकघर गहीधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री खुशबू का जन्म दिनांक 12–04–2014 को हुआ है, जो कि ग्राम पंचायत कंण्ढीधार के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खुशबू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कंण्डीधार के अभीलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपती हो तो वह दिनांक 27–07–2015 को असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपनी आपती दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म / मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 02 / 07 / 15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

————————

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 27—07—2015

श्री मान सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी कडाहिल, डाकघर चनौन, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री ववीता देवी की जन्म तिथि 01—1—1990 को है, जो कि ग्राम पंचायत चनौन के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री ववीता देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौन के अभीलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपती हो तो वह दिनांक 27—07—2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपती दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 02—07—2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

————————

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

किस्म मुकदमा—परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने बारे।

तारीख पेशी : 30—07—15

श्रीमती नरोतमु देवी पुत्री स्व0 श्री झडु राम निवासी होरनगाड, डा0 व तहसील बन्जार, जिला कुल्लू।

बनाम

आम जनता

श्रीमती नरोतमु देवी पुत्री स्व0 श्री झडु राम निवासी होरनगाड, डा0 व तहसील बन्जार, जिला कुल्लू ने मय शपथ पत्र इस कार्यालय में आवेदन किया है कि मेरे मामाजी की पत्नी स्व0 श्री मदनलाल, निवासी

होरनगाड, डा0 व तहसील बन्जार, जिला कुल्लू व उनका पुत्र श्री दीपक कोहली अर्सा छः साल से मेरे साथ मकान होरनगाड में रह रहे हैं। अब मैं श्रीमती शांती देवी व दीपक कोहली का नाम अपने परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती हूं। क्योंकि श्रीमती शांती देवी व दीपक कोहली छः साल पहले घर से बाहर रहते थे उनका नाम कहीं भी किसी भी परिवार में दर्ज ना है।

इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह मय कौंसल इस अदालत में अपना दावा इस इश्तहार से जारी होने के एक माह के भीतर पेश कर सकते हैं, अन्यथा यह समझा जाएगा कि श्रीमती शांती देवी व दीपक कोहली का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करवाने में किसी को कोई आपती न है तथा नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आत दिनांक 2–07–15 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

———————

ब अदालत रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 30–07–2015

श्रीमती आशा देवी बेवा श्री ज्ञान चन्द, निवासी खुन्दन वार्ड नं0–I, डाकघर बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री रंजना देवी की जन्म तिथि 13–08–1996 को है, जो कि नगर पंचायत बन्जार के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री रंजना देवी की जन्म तिथि नगर पंचायत बन्जार के अभीलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपती हो तो वह दिनांक 30–07–15 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपती दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 02–07–2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। रमन घरसंगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

———————

Before the Executive Magistrate *cum* Tehsildar Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :—

Shri Madan Lal Garg S/O Shri Karta Ram, R/O Laxmi Tower, Near Post Office, Saproon, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

NOTICE

Whereas applicant Shri Madan Lal Garg S/O Shri Karta Ram, R/O Laxmi Tower, Near Post Office, Saproon, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for allowing him to enter the date of birth *i.e.* 29-06-1989 of his son named Raman Garg S/O Shri Madan Lal Garg in the record of Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan, as his date of birth has not been entered in the record of Municipal Council Solan, Tehsil and District Solan.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objections, if any, in the office of undersigned regarding entering the date of birth *i.e*. 29-06-1989 of Raman Garg S/O Shri Madan Lal Garg in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan. The objections should reach in this office on or before 04th August, 2015 positively; otherwise necessary order will be passed to enter the date of birth of Raman Garg S/O Shri Madan Lal Garg in the record of Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Solan, District Solan, H. P.

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम :–जनता आम

श्री जगत पाल सिंह बनाम आम जनता

दुरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969.

श्री जगत पाल सिंह पुत्र मलकान सिंह, निवासी सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दुरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री निम्मी देवी का जन्म गांव सन्तोषगढ़ में दिनांक 19–4–2014 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30–7–2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2–7–2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम :—जनता आम

श्री जगत पाल सिंह बनाम आम जनता

दुरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969.

श्री जगत पाल सिंह पुत्र मलकान सिंह, निवासी सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दुरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र द्रोणपाल का जन्म गांव सन्तोषगढ़ में दिनांक 9—5—2012 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व—साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30—7—2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2—7—2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम :—जनता आम

श्री गुरदीप सिंह बनाम आम जनता

दुरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969.

श्री गुरदीप सिंह पुत्र बिहारी लाल, निवासी नगड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दुरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री ईरा चौधरी का जन्म कंवर होस्पिटल एवं नर्सिंग होम ऊना में दिनांक 6—2—2002 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व—साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30—7—2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2—7—2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / —
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम :–जनता आम

श्री गुरबचन सिंह बनाम आम जनता

दुरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969.

श्री गुरबचन सिंह पुत्र दौलत राम, निवासी वहडाला तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दुरख्वास्त प्रस्तुत की है कि उसके पुत्र राजन राणा का जन्म गांव वहडाला में दिनांक 24–6–2011 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28–7–2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1–7–2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम :–जनता आम

श्री वलदेव कुमार बनाम आम जनता

विषय.–दुरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969.

श्री वलदेव कुमार पुत्र श्री चिन्त राम, निवासी गांव मैहतपुर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दुरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र मोहित कुमार का जन्म मैहतपुर में दिनांक 15–2–1997 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28–7–2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1–7–2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

नोटिस बनाम :—जनता आम

श्री जोग राज बनाम आम जनता

विषय.—दुरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969.

श्री जोग राज पुत्र श्री गुलजारी लाल, निवासी आवादा बराना, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दुरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री प्रिया का जन्म आवादा बराना में दिनांक 17—2—2015 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व—साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 28—7—2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1—7—2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला—5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है